Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 03/2024

Jitendra Kumar & Ors..Appellants

Versus

The State of Bihar & Ors ....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28-5-2024	–:आदेश:– प्रस्तुत सेवा अपील दिनांक–18.8.2013 को हुए परीक्षोपरांत घोशित परीक्षाफल के आधार पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक– 2487, दिनांक– 18.10.2013 द्वारा कार्यपालक सहायक से संबंधित प्रकाशित पैनल के आधार पर इनका पदस्थापन अबतक नही किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण कार्यपालक सहायक पद हेतु अपेक्षित योग्यताओं के साथ दिनांक–18.03.2013 को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा ज्ञापांक– 2487, दिनांक– 18.10.2013 द्वारा पैनल प्रकाशित किया गया। तद्नुरूप कार्य आवंटित किये गए। सिविल सर्जन सह–सदस्य सचिव के पत्रांक– 956, दिनांक– 18.08.2021 द्वारा इनकी सेवा स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया को वापस कर दी गई। जहॉ इन्होंने अपना योगदान समर्पित किया। अपीलार्थियों द्वारा बार–बार अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद भी स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा इन्हे न तो किसी कार्यालय में पदस्थापित किया गया और न ही किसी प्रकार का मानदेय ही भुगतान की गई। इनके द्वारा समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष पदस्थापन एवं मानदेय भुगतान हेतु आवेदन दिया गया, किन्तु निश्फल रहा। इससे पूर्व समाहर्त्ता, पूर्णिया के पत्रांक– 8592, दिनांक– 23.10.13 द्वारा उक्त पैनल जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया को प्रेशित कर दी गई, जिसके आलोक में सिविल सर्जन –सह– सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया ने ज्ञापांक– 1267, दिनांक– 26.12.2013 द्वारा कुल–32 उम्मीदवारों को सदर अस्पताल, पूर्णिया सहित अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में योगदान हेतु सूचित किया गया। उक्त के आलोक में अपीलार्थीगण अपने पदस्थापन कार्यालय में योगदान समर्पित करते हुए निश्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते रहे तथा इन्हें मानदेय भुगतान किया जाता रहा। सिविल सर्जन –सह– सदस्य सचिव (उत्तरवादी सं0–3) जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया ने ज्ञापांक– 956, दिनांक– 18.8.2021 द्वारा मानदेय हेतु निधि/आवंटन के आभाव में इनकी सेवाएॅ समाहर्त्ता, पूर्णिया को वापस कर दी गई, जो सही नही है। क्रमशः	

Web Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **28-5-2024**	इनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सं0–3 द्वारा पारित आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। उत्तरवादी सं0–1 और 2 द्वारा इन्हें किसी भी कार्यालय में पदस्थापित नही किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कुल– 40 उम्मीदवारों में से 26 कार्यपालक सहायकों को स्थापना उप समाहर्त्ता को वापस किया जाना सही नही है। मुंगेर जिला अंतर्गत सदृश्य मामले में कार्यपालक सहायको द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C. No.- 6646/22 में पारित आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारो को विचारण हेतु निदेश दिया गया है। अपीलार्थी की सेवाएँ को स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया को वापस किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायोचित नही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ सिविल सर्जन–सह– सदस्य सचिव (उत्तरवादी सं0–3) ने पत्रांक– 40 दिनांक– 6.04.2024 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पशट किया है कि स्वास्थ्य विभागीय कार्यालयों अंतर्गत कार्यपालक सहायक का पद स्वीकृत नही है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश दिनांक– 20.11.2013 के आलोक में जिला स्तर पर तैयार (Executive Assistant) पैनल से मेघा क्रम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत एजेंसी के रूप में कार्य करने का निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में वर्णित अभ्यर्थियों को विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया के आदेश ज्ञापाक– 1267, दिनांक– 26.12.2013 द्वारा अनुबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक– 1187, दिनांक– 03.6.2020 के निदेशानुसार विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में डाटा सेन्टर वगैरह की स्थापना हेतु मेसर्स उर्मिला इन्टरनेश्नल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, पटना को अधिकृत करते हुए तदनुरूप स्थापना एवं संचालन कराने हेतु निदश दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा संजीवनी कार्यक्रम एवं डाटा सेन्टर के भुगतान हेतु जिला स्तर पर राशि उपलब्ध नही कराई जा रही है। मेसर्स उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज प्रा0लि0, पटना का राज्य बिहार स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के साथ हुए एकरारनामा की कंडिका 6 की उपकंडिका 6.1 के अनुसार संस्था का भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा राज्य स्तर से किये जाने का प्रावधान था। उक्त के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया के ज्ञापांक– 956, दिनांक– 18.8.2021 द्वारा दिनांक– 01.9.2021 के प्रभाव से उक्त पत्र में वर्णित डाटा सेन्टर के रूप में कार्यरत अपीलार्थियों की सेवा स्थापना उप–समाहर्त्ता को वापस की गई है। जो विधि सम्मत एवं नियमानुकूल है। क्रमशः	

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **28-5-2024**	उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों का अवलोकन तथा समीक्षा किया। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा Service provide M/s Urmila International Services pvt. Ltd. के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यपालक सहायक दिया जाने लगा। आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण जिलाधिकारी, पूर्णिया के पैनल से रखे गए कार्यपालक सहायकों की सेवा वापस स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया को करनी पड़ी। स्पश्ट है कि स्वीकृत पद एवं आवंटन के अभाव में सेवा वापस की गई है। मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) का कार्यालय आदेश ज्ञापांक– बि0प्र0सु0मि0सो0/ स्था0– 06/2022, सो0– 3967, दिनांक– 10.10.2023 का अवलोकन किया। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ''अपील का प्रावधान केवल सेवा से हटाये जाने की स्थिति में लागू होगा।'' प्रस्तुत मामले में जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया अथवा समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा अपीलार्थीयों को सेवा से हटायी नही गई है अपितु जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया ने ज्ञापांक– 956, दिनांक–18.08.2021 द्वारा अपीलार्थियों की सेवा स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया को वापस की है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को ''पोशाणीय नही'' (Not Maintainable) पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.